न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 38/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 छोटू खां पुत्र अशरफ खां।
2 भंवरी देवी पत्नी छोटू खां समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हीरालाल पुत्र डालुराम उम्र 40 वर्ष।
2 शंकरलाल पुत्र हनुमान।
3 गणेश पुत्र हनुमान।
4 रूपाराम पुत्र हनुमान।
5 नानची देवी पत्नी हनुमान।
6 गोपी पुत्र डालु।
7 मेवा पुत्र पन्ना समस्त जाति जाट निवासीगण कल्याणपुरा तन कुली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 प्रबंधक एस.बी.आई शाखा दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास सीकर।
10 प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक/शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा बाय जिला सीकर।
11 उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक
27.03.2018 मु.नं. 10/2017 हीरालाल
बनाम शंकरलाल आदि द्वारा श्री ओमप्रकाश शर्मा
आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

उपस्थित

1. श्री महेश कुमार जांगिड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमार बुरड़क अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री बाबुलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.03.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा दावा संख्या 10/2017 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में हिरालाल ने राजस्व ग्राम रूलाणा पटवार मण्डल बनाथला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1067,1068, 1069,1070,1073,1074,1075/1247 बाबत विभाजन घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.11.2015 को विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की। इसके

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरान्त विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर 27.03.2018 को प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विभाजन सम्बंधित नियम 18 से 21 की पालना किये बिना, अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सहमती के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी हुई है विचारण न्यायालय ने आपत्ति को खारिज करते हुये अन्तिम डिक्री पारित की है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक डिक्री उभयपक्ष की सहमती से जारी की गई है। इसके सम्बंध में कोई विवाद भी नही है। जहां तक बंटवारा प्रस्ताव का प्रश्न है बंटवारा प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नही किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार कर नही मंगवाये गये जबकि नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार को मौके पर जाकर तैयार करने होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री विधि सम्मत नही मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री आदेश दिनांक 27.03.2018 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर अधिकारी

साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/3/19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर